संख्या-83/2022/।/191798/2022/002-2022-71-2002-002-7-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 जुलाई, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के कार्मिकों के वेतन मद में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी0बी0एम0आर0/एफएण्डए/2022-23/56, दिनांक 11.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 710.00 लाख के सापेक्ष वेतन मद में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-45/2022/।/158112/001-71-2002-002-7-2021, दिनांक 21 अप्रैल, 2022 द्वारा धनराशि रू0 257.96 लाख अवमुक्त की गयी थी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व पक्ष में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 452.04 लाख (रूपये चार करोड़ बावन लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्रम	संस्थान	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	सी0बी0एम0आर0 लखनऊ	"2210-05-105-03-0312-सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	31-सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन)	452.04

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यशकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.gov.in

3. निदेशक/वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/ दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संबंधित संस्था के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
5. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,52,04,000 (रुपये चार करोड़ बावन लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ **मानक मद** 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/ 2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव,

संख्या-83/2022/I/191798/2022/002-2022-71-2002-002-7-2021, **तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज
4. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त नियंत्रक, सी0बी0एम0आर0 लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in